प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.12.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेट बरामद ।

आज दिनांक 18.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त निखिल पुत्र चरण सिंह निवासी सालेह नगर वार्ड नं0 01 प्राइमरी स्कूल के पास गिरी मार्केट लोनी गाजियाबाद को चौकी लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी तथा मोटरसाइकिल की पहचान छुपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगा ली थी। मैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से मौका पाकर वाहन चोरी कर उन्हें सस्ते दामों में राह चलते व्यक्तियों को बेचकर अपने शौक पूरा करता हूँ। मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

निखिल पुत्र चरण सिंह निवासी सालेह नगर वार्ड नं0 01 प्राइमरी स्कूल के पास गिरी मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

मोटरसाइकिल चोरी के सम्बध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 15.11.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा मेरी पौत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना । जिसके सम्बन्ध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना लोनी पर टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 15.12.2024 को पीड़िता को बरामद कर उक्त मुकदमें में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी व धारा 183 BNSS के बयानों की कार्यवाही की जा चुकी है । धारा-183 BNSS के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा-87/64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

आज दिनांक 18.12.2024 को सीसीटीवी फुटेज व लोकल, मैनुअल ईनपुट के आधार पर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त मोहित उर्फ रोहित उर्फ प्रशांत पुत्र सुरेश चन्द निवासी 25 फुटा रोड गली न0 1 आनंद विहार लोनी को लोनी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि इस लड़की से मेरी जान-पहचान हो गयी थी, मैं इससे बात करने लगा था । मैं एक दिन इस लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था । मैंने इसको बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मोहित उर्फ रोहित उर्फ प्रशांत पुत्र सुरेश चन्द निवासी 25 फुटा रोड गली न0 1 आनंद विहार लोनी, उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मंदिरो के दानपात्र से रुपये चोरी की घटनाओ का किया सफल अनावरण, चोरी करने वाले 04 शातिर चोरो को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटनाओ में प्रयुक्त 01 चोरी की मो0सा0 व 01 चोरी की स्कूटी, 01 मो0सा0 घटना में प्रयुक्त व मंदिर के दानपात्र से चोरी रुपये में से बचे शेष 1990 रुपये बरामद ।

दिनांक 09-12-24 में राजेश त्यागी एफ 301 के0डब्लू0 सृष्टि राजनगर एक्स0 द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरो द्वारा के.डब्लू.सृष्टि सोसायटी के मन्दिर के गल्ले का ताला तोडकर नगदी चोरी की गयी है, तथा दिनांक 20-11-24 को वादी श्री नीरज कुमार अध्यक्ष मन्दिर समीति अजनारा इन्टीग्रीटी सोसायटी राजनगर एक्स0 द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरो द्वारा श्री शिव शक्ति मन्दिर के गेट का ताला तोड़कर दानपात्रों से

नकदी चोरी कर ली है, दिनांक 24-11-24 को वादी श्री आनन्द निवासी क्लासिक रेजीडेन्सी राजनगर एक्स0 ने सूचना दी की अज्ञात चोरो द्वारा सोसायटी के डी ब्लाक में दुर्गा मन्दिर के दानपात्र से धनराशि चोरी कर ली गयी है, उक्त घटनाओ के संबंध में तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किये गये।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 17-12-24 को मुखबिर की सूचना पर हनुमान चौक के पास से, 04 शातिर चोरो को मय चोरी की 01 मो0सा0, 01 स्कूटी, व मंदिर के दानपात्र से चोरी रुपये में से बचे शेष 1990 रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 सहित किया गिरफ्तार, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता –

1. पियूष पुत्र सुनील निवासी म0न0 833 बोम्बे कालोनी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
2. बोबी शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी म0न0 977 बोम्बे कालोनी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
3. सनी चौधरी पुत्र कृष्ण निवासी मन्दिर वाली गली घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
4. अमन खान पुत्र अमजद निवासी म0न0 809 बोम्बे कालोनी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1) अभि0 पियूष उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 03 अभियोग, थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना ई-थेफ्ट दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।
2) अभि0 बोबी उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 03 अभियोग, थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना ई-थेफ्ट दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।
3) अभि0 सनी चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 03 अभियोग, थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना ई-थेफ्ट दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।
4) अभि0 अमन खान उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 04 अभियोग, थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना ई-थेफ्ट दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम नशा पत्ता कर लेते है नशे के शौक को पूरा करने के लिये व अपने अन्य खर्चे करने के लिये हम चारो चोरी करते है, यह स्कूटी हम चारो ने मेरठ से चोरी की थी तथा यह सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल हमने दिल्ली से चोरी की थी तथा यह स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल रजि0 न0 UP-14-FH-5849 पीयूष की है। ताकि हम पकडे ना जाये इसलिये चोरी की मोटरसाईकिल/स्कूटी इस्तेमाल करते है। इन दोनो मोटरसाईकिलो व स्कूटी को हम चोरी करने मे इस्तेमाल करते है। हम लोग अलग अलग वाहन पर घुम फिरकर कर दिन के समय ही रास्ते में पडने वाले मंदिर देखकर रेकी करते है। चोरी के समय भी हम लोगो का एक साथी आसपास खडा होकर रेकी करता है, तथा 03 लोग मिलकर चोरी करते है। हमसे जो रुपये बरामद हुये है यह रुपये दिनांक 19.11.2024 को अजनारा इन्टिग्रीटी सोसायटी के मन्दिर व दिनांक 22.11.2024 को क्लासिक रेजीडेंसी मन्दिर मे चोरी तथा दिनांक 09.12.2024 को के0डब्ल्यू सृष्टि सोसायटी के मन्दिरो से दानपात्र से चोरी किये गये रुपयो मे से बचे हुये रुपये है, शेष रुपये हमने खर्च कर लिये है।

बरामदगी का विवरण-

1) 01 मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट सम्बंधित मु0अ0सं0 032085/18 धारा 379 भादवि ई पुलिस स्टेशन एमवी थैप्ट दिल्ली

2) 01 स्कूटी एक्टिवा रजि0 न0 UP-15-BZ-8221 सम्बंधित मु0अ0स0 341/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना परतापुर जनपद मेरठ

3) 01 मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर रजि0 न0 UP-14-FH-5849 सीज (घटना में प्रयुक्त)

4) 1990 रुपये (मंदिर के दानपात्रो से चुराये हुए शेष रुपये)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में लव जिहाद की शिकार युवती के आत्महत्या मामले के सनसनीखेज खुलासे व मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में

थाना कोतवाली नगर में दिनांक 11.12.24 को एक युवती ने अपने घर में खुद को आग लगाकर आत्म हत्या कर ली थी जिस संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर आरोपी फराज अथर नि0 शाहदरा दिल्ली एवं उसके परिवारीजनो के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। युवती की आत्महत्या के कारणों के संबंध में जब गहराई से जांच पडताल की गयी तो आत्महत्या के पीछे एक खतरनाक साजिश सामने आयी। युवती के मोबाईल फोन के चैट्स,आरोपी युवक फराज अथर से किये गये बातों की रिकार्डिंग , युवती के पास से मिले कुरान व हदीश की किताबें ,उसकी डायरी आदि से एक सनसनीखेज मामला सामने आया अभियुक्त फराज अथर पिछले चार - पांच वर्षों से युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान उसने युवती को अपने साथ शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेमजाल में पूरी तरह फंसा लिया तथा उसका शारीरिक,मानसिक व आर्थिक शोषण करता रहा।

- अभियुक्त फराज ने युवती को धर्मान्तरण के लिये मजबूर किया, उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसके रीति रिवाज सीखने के लिये कुरान व हदीश की किताबें दीं, नमाज पढना सिखाया फलस्वरुप युवती ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढना शुरु कर दिया था । बेटी को नमाज पढता देख उसका बीमार पिता सदमें में आ गया। ज्ञातव्य है कि कोई व्यक्ति यदि अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले संबंधित जिलाधिकारी को संपूर्ण विवरण के साथ फार्म जमा करना होता है जबकि अभियुक्त फराज द्वारा इस तरह का कोई भी प्रार्थना पत्र प्रेषित नही किया गया। धर्म परिवर्तन के नियम की प्रक्रिया को बिना अपनाये वह युवती से निकाह करना चाह रहा था जो विधि विरुद्ध और गैर कानूनी है । फराज ने युवती को कई इस्लामिक व्हाटसएप ग्रुप व लिंक से जुडवाया हुआ था।
- अभियुक्त फराज ने युवती की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुये उससे दहेज के नाम पर समय समय पर अपनी जरुरत व मजबूरी व कर्ज में फंसा हुआ बताकर उससे रुपये लेता रहा। उक्त फराज द्वारा करीब 06 लाख 55 हजार रुपये युवती से प्राप्त किये गये। फराज लगातार युवती से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के नाम पर दहेज के रुप में लाखों रुपये मांगता रहता था।
- अभियुक्त फराज ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर युवती का शारीरिक शोषण करता रहा तथा युवती को ड्रग्स (मंकी ड्रग्स) देकर नशे की लत लगा दी। इस दौरान युवती के गर्भवती होने पर अभियुक्त द्वारा उसका गर्भपात कराया गया।

- घटना से कुछ दिन पहले एक होटल में आरोपी द्वारा अपने परिवार के साथ शादी करने के लिये बातचीत की गयी तथा शादी के लिये दहेज के रुप में अतिरिक्त रुपयों की माँग करते हुये युवती के हिस्से की करोडों की सम्पत्ति को अपने नाम करने की बात की गयी। अभियुक्त फराज को उससे शादी नही करनी थी, वह केवल उसको धोखा दे रहा था तथा उसकी नजर युवती के करोडों की सम्पत्ति पर थी। वह शादी की बात को लगातार टालता रहा तथा युवती को धोखा देता रहा। घटना के दिन दिनांक 11.12.2024 को युवती ने कुल 120 बार उक्त फराज को काल किया तो फराज ने उसका फोन नही उठाया। आत्महत्या करने से पूर्व भी युवती ने फराज को आत्महत्या करने के संबंध में व्हाटसएप पर वायस मैसेज भेजा था। उसने युवती को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दिया। फराज के इस शारीरिक,मानसिक व आर्थिक उत्पीडन के फलस्वरुप युवती ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

कार्यवाही का विवरण:- प्रकरण उपरोक्त की घटना मे वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया। सभी टीमो द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट की मदद से वाँछित मुख्य अभियुक्त फराज अथर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

फराज अथर पुत्र शब्बन अली निवासी डी 20/17 गली नं0 16 चौहान बांगर शाहदरा दिल्ली हाल पता म0न0 100 बी टावर न0 03 सैक्टर 105 थाना सैक्टर 39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लकड़ी के साथ छेड़छाड़ व जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.12.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी निवासी सै0 03 वैशाली थाना कौशांबी गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे घर के पास एवन पनीर भण्डार पर रहने वाले मो0 खालिद उर्फ सनी द्वारा मेरी बहन को स्कूल जाते व आते समय छेडछाड़ व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके परेशान करना व मोबाइल नंबर मागना नंबर न देने पर हाथ पकड़कर खीचना व मेरी बड़ी बहन द्वारा अभियुक्त को समझाने पर अभियुक्त के साथ अन्य अज्ञात लड़को द्वारा भी जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करना व जान से मारने की धमकी देना। तत्काल थाना कौशांबी पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 75,79 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7,8 व अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.12.2024 को अभियुक्त मो0 खालिद उर्फ सनी पुत्र तरीकत निवासी एवन पनीर भण्डार सै0 03 वैशाली थाना कौशांबी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को वैशाली सै0 03 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मो0 खालिद उर्फ सनी वादी की बहन से दोस्ती करने व मोबाइल पर बात करने के लिये उसका पीछा कर नंबर मागता था तथा वादी की

बड़ी बहन द्वारा द्वारा समझाने पर अन्य अज्ञात लड़कों के साथ मिलकर जातिसूचक गाली गलौज की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मो0 खालिद उर्फ सनी पुत्र तरीकत निवासी एवन पनीर भण्डार सै0 03 वैशाली थाना कौशांबी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 बर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त मो0 खालिद उर्फ सनी उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा कैफे में मारपीट करने वाले 02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 16/17.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस को चेकिंग के दौरान व मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि शिवाजी चौक के पास स्थित क्रिस्टल कैफे में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाना बजाने को लेकर आपस में मारपीट हो रही है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचकर कैफे के बाहर लाठी डन्डों से मारपीट कर रहे 06 अभियुक्तगण को दिनांक 17.12.2024 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

वाँछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.12.2024 को क्रिस्टल कैफे में मारपीट की करने वाले 02 वाँछित अभियुक्त 1. अवधेश उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम सिंह निवासी बी 4-जवाहर पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष, 2. विपिन तोमर उर्फ कुश तोमर पुत्र जयवीर सिंह निवासी बी 214 गौरी शंकर बिहार थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 24 बर्ष को शालीमार गार्डन एक्सटेशन 01 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 191(3),190,324(4),324(5),191(2) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। **वाँछित अभियुक्त (क्रिस्टल कैफे संचालक) पंकज पुत्र रोहतास निवासी गगन विहार दिल्ली उम्र लगभग 32 वर्ष व अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।**

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 16/17.12.2024 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन अन्तर्गत स्थित क्रिस्टल कैफे में आनन्द सिंह पुत्र संजय सिंह जो अपने अन्य साथियों के साथ पार्टी करने के आये थे और उस कैफे में पूर्व से ही मौजूद सोनू पुत्र जन्नेद्र कुमार जोकि वर्तमान में दिल्ली पुलिस में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। ये अपने अन्य साथियों के साथ जिम कोच अनिल जिनका बर्थ-डे था। वह अपने साथियों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने आये थे। दोनों पक्षों में आपस में गाना बजाने को लेकर कहासुनी और मारपीट की घटना घटित हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः

1. अवधेश उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम सिंह निवासी बी 4-जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 34 बर्ष।

2. विपिन तौमर उर्फ कुश तोमर पुत्र जयवीर सिंह निवासी बी 214 गौरी शंकर बिहार थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 24 बर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।